

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या— २११-५५०४-११३२(२)

पटना, दिनांक ..... वर्तमान

पदस्थापन के जिला में लगभग पाँच साल तक पदस्थापित रहने के कारण निम्नांकित चिकित्सकों के नाम के समक्ष अंकित रत्नम्— ६ में अंकित जिलान्तर्गत रथानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :—

१	२ भोजपुर जिला	३	४
क्र०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह ज़िला	नव पदस्थापन ज़िला
१	डा० सुभाष चन्द्र पासवान	पटना	मुगेर
२	डा० अमरेन्द्र कुमार सिंह	पटना	सारण
३	डा० श्रीमती कविता सिंह	जहानाबाद	पटना
४	डा० विनोद कुमार नं० १	बक्सर	मुगेर
५	ओम प्रकाश आर्या	नालदा	मुगेर
६	डा० विनोद कुमार नं० २	पटना	समरतीपुर

८/६  
२००८

✓

7	डा० रामभवन सिंह	पटना	समरतीपुर
8	डा० उदय कुमार सिंह	पटना	समरतीपुर
9	डा० अजित पाल चौधरी	नालंदा	समरतीपुर
10	डा० शिवाजी सिंह	रोहतास	मुंगेर
11	डा० नवल किशोर सिंह	पटना	सारण
12	डा० अरुण कुमार	रोहतास	सारण
13	डा० जयंत कुमार	नालंदा	बेगुसराय
14	डा० अर्जुन राम	नालंदा	मुंगेर
15	डा० मनोज कुमार सिंहा.	मुजफ्फरपुर	रामरतीपुर
16	डा० रायकान्त.	पटना	मुंगेर
17	डा० केदार नाथ गुप्ता	मोजपुर	मुंगेर
18	डा० ब्रजभूषण शर्मा	पटना	सारण
19	डा० अरविन्द कुमार डेढगवे,	गया	मुंगेर
20	डा० निर्मल कुमार ओझा,	गोपालगंज	सारण

21	डा० अनिश कुमार,	रीमामठी	समस्तीपुर
22	डा० नागेन्द्र भूषण सिंह,	रोहतास	समस्तीपुर
23	डा० नंद किशोर प्रसाद,	पटना	सारण
24	डा० विश्वजीत प्र० आजाद	पटना	सारण
25	डा० श्रीमती गायत्री सिंह,	सारण	समस्तीपुर
26	डा० अजय कुमार सिन्हा,	पटना	दरभंगा
27	डा० दिनानाथ पांडे	रोहतास	बक्सर
28	डा० परमेश्वर दयाल	नालंदा	सारण
29	डा० जय हिंद प्रसाद सिंह	पटना	सारण
30	डा० अनिल कुमार	पटना	वैशाली
31	डा० राधेश्याम सिंह	भगूआ	बक्सर
32	डा० लाला विनय कुमार	पटना	दरभंगा
33	डा० शिव नारायण साह	मुगेर	पूर्णियाँ

गुरु

34	डा० विकास चन्द्र वर्मा	सिवान	मुजफ्फरपुर
35	डा० अरुण कुगार	पटना	सामरतीपुर


2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिलों को सौंपी गयी हैं उनका पदरथापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।

3. सभी रथानान्तरित चिकित्सक अपने पदरथापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदरथापन के रथान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित रथान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की रेपेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रेपेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित रथान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।


5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि रथानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र रथानान्तरित रथान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।

6. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्तों रो अनुरोध होगा कि पदरथापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदरथापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
  
(डा० प्रमोद कुमार)  
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक —

पटना, दिनांक



आपांकी-५८०४-११३२ (२) आपांकी-३०.६.०४

प्रतिलिपि - महालेखाकार, विहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त (वै०दा०ग्नि०को०)  
विभाग, पन्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को विहार राजपत्र के असाधारण  
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक,  
स्वारथ्य सेवाएँ / सभी संबंधित सिविल सर्जन / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार  
पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग / महानिरीक्षक अभियोजन, विहार, पटना /  
सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वारथ्य / राज्य मंत्री के आप सचिव / सचिव, स्वारथ्य के के  
सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वारथ्य सेवाएँ के निजी सहायक / विभाग के सभी पदाधिकारी / उप  
सचिव के निजी सहायक / विभागीय प्रशास्त्रा पदाधिकारी, २/३/९ एवं कम्बूटर कोषांग को  
सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ग्रन्थ  
३७६